दिनांक 14 जुलाई, 2021 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय की पांचवीं बैठक का कार्यवृत्त

प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I में दी गई है।

सुश्री अंजली भावड़ा, शासी निकाय की अध्यक्ष और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और श्री के.वी.एस. राव, निदेशक से शासी निकाय के विचार के लिए कार्यसूची बिंदुओं को संक्षेप में बताने का अनुरोध किया।

2. शासी निकाय के समक्ष श्री राव द्वारा बनाई गई कार्यसूची मदों पर एक प्रस्तुतिकरण अनुबंध-II में दिया गया है। शासी निकाय द्वारा लिए गए कार्यसूची-वार निर्णयों को संक्षेप में नीचे दिया गया है: -

कार्यसूची आइटम	शासी निकाय के निर्णय/अवलोकन
कार्यसूची बिंदु संख्या 1: दिनांक 23 मार्च, 2021 को आयोजित शासी निकाय की चौथी बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।	• शासी निकाय ने दिनांक 23.03.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। • शासी निकाय ने प्रत्येक निर्णय पर हुई प्रगति को नोट किया और अवलोकन निम्नानुसार हैं : - ▪ जहां तक राहत केंद्र, मणिपुर द्वारा प्रदर्शनी आयोजित करने का संबंध है, कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने पर प्रदर्शनी की शीघ्र तिथि की पुष्टि के लिए इस मामले को संगठन के साथ उठायें । ▪ जहां तक मैसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च का संबंध है, संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संगठन को अंतिम अनुस्मारक भेजें । उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित करें कि यदि निर्धारित समय के भीतर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो मामले को बंद किया जा सकता है।. ▪ जीबी ने उल्लेख किया कि एनआईटी कुरुक्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय आईटी चैलेंज, 2019 में भाग लेने के संबंध में 92 दिव्यांग छात्रों और 57 एस्कॉर्ट्स को 2,91,040 रुपये जारी करने के लिए बैंक को पत्र जारी किया गया है। ▪ जीबी ने 2020 में प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए पिंगालाक्षी ओडिशा को 10 लाख रुपये जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

	जीबी ने यह भी चाहती है की कि नागदा जेनिथ, सांसद और एकीकृत, वाराणसी से अनुरोध करें कि वे कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र अपने कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित करें। ▪ जहां तक श्री नवदीप को 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का संबंध है, इस मामले को अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ तत्काल उठाएं और निधियां यथाशीघ्र जारी की जाए। ▪ जीबी ने बताया कि राष्ट्रीय निधि के तहत सहायता के नए क्षेत्रों का सुझाव देने और लेखा प्रक्रिया विकसित करने के लिए गठित समितियां तुरंत बैठक करें और सितंबर, 2021 में होने वाली अपनी अगली बैठक में शासी निकाय के विचार के लिए अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दें । ▪ जहां तक वित्तीय सहायता के लिए नए प्रस्तावों पर विचार करने का संबंध है, स्क्रीनिंग समिति को नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी संगठन से अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होती है, अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित संगठन/व्यक्ति के साथ मामले का नियमित रूप से अनुपालन करें। ▪ जहां तक पुराने मामलों को आगे बढ़ाने के संबंध में 13,45,200/- रुपये की लागत से सीए फर्म की नियुक्ति का विस्तार करने का संबंध है। संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार ने बताया कि एनएचएफडीसी में दरों की तुलना में लागत अधिक प्रतीत होती है। रिलीज करने से पहले लागत के विवरण को देखें । ▪ जीबी ने नए राष्टीय निधि एफडी/सेविंग्स बैंक अकाउंट में 75 करोड़ रुपये के निधि ट्रांसफर की स्थिति का उल्लेख किया है। जुलाई, 2021 तक परिपक्व होने वाले 92 करोड़ रुपये के निवेश के संबंध में, राष्ट्रीयकृत बैंकों से कोटेशन प्राप्त करने के साथ-साथ आरबीआई बॉन्ड में निवेश की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया गया।

	▪ जहां तक राष्ट्रीय निधि के तहत कर्मचारियों की भर्ती का संबंध है, यह निर्णय लिया गया कि शासी निकाय द्वारा दिनांक 23.03.2021 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इस प्रकार गठित समिति प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करके विभिन्न पदों के लिए पात्रता शर्तों और पारदर्शी तरीके से भर्ती आयोजित करने की प्रक्रिया का सुझाव दें । इसके अलावा, चूंकि यह एक सरकारी निधि है, भर्ती प्रक्रिया सरकारी विभाग में भर्ती एक समान होनी चाहिए। समिति यह भी सुझाव दें कि क्या कर्मचारी संविदा पर होंगे या स्थायी आधार पर भर्ती किए हैं। समिति की रिपोर्ट को शासी निकाय की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ▪ जीबी ने दिनांक 23.03.2021 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में शासी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित गतिविधियों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का उल्लेख किया। एनएचएफडीसी और राष्ट्रीय न्यास के प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें । राष्ट्रीय संस्थानों से उनकी ओर से उचित कार्रवाई के लिए उच्च स्तर पर अनुरोध करें। जीबी ने यह भी निर्णय लिया कि राष्ट्रीय निधि की योजनाओं पर विज्ञापन समाचार पत्रों में त्रैमासिक रूप से जारी किया जाना चाहिए और सोशल मीडिया में निरंतर आवधिक प्रचार किया जाना चाहिए। ▪ जीबी ने फंड की स्थिति की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया। ▪ इन केन्द्रों के साथ छह प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना और कौशल विकास एकक की स्थापना के संबंध में एनएचएफडीसी के प्रस्ताव पर विसंगतियों, यदि कोई हो, के संबंध में एनएचएफडीसी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

कार्यसूची बिंदु संख्या 2: समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) परियोजना के संचालन के लिए वित्तीय सहायता के नए प्रस्तावों पर विचार करना।	• शासी निकाय ने 10,000 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। (ग) सरकार ने 16 संगठनों, जिनमें 6 राष्ट्रीय संस्थान, सीआरसी, सुंदरनगर और इसके द्वारा चयनित 9 अन्य संस्थान शामिल हैं, के माध्यम से सीबीआईडी कार्यक्रम के संचालन के लिए सहायता के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद को 3,02,08,000/- रुपए की राशि जारी की है। अनुदान निम्नलिखित दो घटकों के लिए है:- ○ 16 संगठनों को सहायता 20,000 रुपये दर पर प्रति छात्र प्रति बैच। ○ दिव्यांग छात्रों को वजीफा 700 रुपये और 500 रुपये दर पर प्रति माह दिव्यांग छात्रों को 6 माह की पूरी अवधि के लिए । • एक संगठन द्वारा नामांकित किए जाने वाले छात्रों की संख्या 40 से अधिक नहीं हो और 25 से कम नहीं होनी चाहिए। • आरसीआई द्वारा संगठनों को निधि यां जारी करना नामांकित छात्रों की वास्तविक संख्या पर आधारित होगा। • स्टाइपेंड के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति 80% है। • आरसीआई को दो समान किस्तों में धनराशि जारी की जाएगी। • समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद पहली किस्त सितंबर, 2021 में जारी की जाएगी (मसौदा समझौता ज्ञापन शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा)। • आरसीआई निम्नानुसार संगठनों को निधि जारी करेगा:- ○ छात्रों के नामांकन के एक माह बाद 40%; ○ 3 माह के बाद 30% ○ शेष 30% कार्यक्रम के पूरा होने के बाद और यूसी प्राप्त होने पर। • आरसीआई डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खाते में 4 माह के बाद स्टाइपेंड जारी करेगा। • आरसीआई और सभी 16 संगठन सीबीआईडी कार्यक्रम के संबंध में निधि प्राप्त करने और उस पर होने वाले व्यय के लिए अलग-अलग खाता बनाएंगे।

	▪ किसी भी अप्रयुक्त निधि के मामले में, आरसीआई उस पर अर्जित ब्याज के साथ राष्ट्रीय निधि को वापस करेगा। ▪ आरसीआई सहायता अनुदान के नियमों और शर्तों को अंतर्निहित करते हुए राष्ट्रीय कोष के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।
कार्यसूची बिंदु संख्या **3:** दिव्यांगजनों के लिए न्याय निधि और दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के तहत पुराने आयकर मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सीए फर्म की नियुक्ति।	• शासी निकाय ने इस पर अपनी पूर्व-कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है।

3. शासी निकाय ने बताया कि आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के अनुसार उसे जितनी बार हो सके उतनी बार बैठक करने की आवश्यकता है, लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार। शासी निकाय ने निर्णय किया कि यह प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करेगा।

4. अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए बैठक संपन्न हुई ।

****

अनुबंध -I

प्रतिभागियों की सूची

क	**शासी निकाय के सदस्य**	
1	सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	अध्यक्ष
2	सुश्री अंजली भावड़ा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास	सदस्य
3	श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	सदस्य
4	डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सीईओ, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधियां	संयोजक
5	सुश्री रेखा शुक्ला, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
6	सुश्री तनु जैन, उप महानिदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
7	सुश्री रूपाली रॉय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
8	डॉ. एम. ए. बालासुब्रमण्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
9	श्री गुरदीप सिंह, उप सचिव, वित्तीय सेवा विभाग	सदस्य
10	सुश्री सरोज सिंह, अवर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग	
11	श्री अमित सागर शर्मा	सदस्य
12	श्री वेन्नापूसा श्रीनिवासुलु रेड्डी	सदस्य
13	डॉ. सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई (विशेष आमंत्रित सदस्य)	
14	श्री अरविंद दुबे, सीए, लखनऊ (विशेष आमंत्रित सदस्य)	
ख	**विभागीय अधिकारी**	
15	श्री केवीएस राव, निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी	
16	श्री डी.के. पंडा, अवर सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	